

राजस्थान सरकार
कृषि (गुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.10(2)कृषि/गुप-2/75

जयपुर, दिनांक:- 5 JUL 2014

अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (राजस्थान अधिनियम संख्या 38 सन् 1961) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इस विभाग की विज्ञप्ति संख्या प.10(2)कृषि/गुप-2/75 दिनांक 23.04.1977 के क्रम में राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करने की घोषणा करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अनुसूची में, क्रम संख्या 10 पर अंकित "विविध" शीर्षक अन्तर्गत कृषि उपजों के साथ 'ढेंचा' को सम्मिलित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हु

(हरिशंकर शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज. जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ मय सी.डी.।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, कृषि विपणन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि।
4. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग।
6. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति।
7. रक्षित पत्रावली।

हरिशंकर शर्मा
शासन उप सचिव

P.T.O.